GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF FORESTS & WILDLIFE
A-BLOCK, 2ND FLOOR, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE,
NEW DELHI – 110002.

No. FAWL-L/1/2026-Tree Cell/e-323873/ 12825-35 **Dated:-** 12/11/26

CIRCULAR

Sub:- Gazette Notification dated 30.09.2026 regarding the Delhi Preservation of Trees (Agro-forestry and Exempted Plantation Species) Rules, 2026 - reg.

The Gazette Notification No. FAWL-L/1/2026-Tree Cell/e-323873/9777 dated 30.09.2026 issued under Section 29 and 34 of the Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994, regarding the Delhi Preservation of Trees (Agro-forestry and Exempted Plantation Species) Rules, 2026, as approved by the Government of NCT of Delhi, is enclosed herewith for kind information and necessary action.

The said Notification is also available for download on the official website of the Department (*https://forest.delhi.gov.in*) and the DPTA e-Forest Portal (*https://dpta.eforest.delhi.gov.in*) of the Department of Forests and Wildlife, GNCTD.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Deputy Conservator of Forests (P&M)

To,

All Deputy Conservator of Forests (DCFs)/ Tree Officers,
Department of Foresta and Wildlife, GNCTD.

Copy for kind information to: -

1. The Principal Secretary to Hon'ble Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, Raj Niwas, Civil Lines, Delhi-110054.
2. The Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Govt. of National Capital Territory of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi-02.
3. The Secretary to Hon'ble Minister (Environment, Forest & Wildlife), GNCTD.
4. The Staff Officer to Chief Secretary, GNCTD.
5. PS to Secretary (Environment & Forests), GNCTD.
6. PS to PCCF / HoD, Department of Forests & Wildlife, GNCTD.
7. The CCF (A), Department of Forests & Wildlife, GNCTD.
8. The CF, Department of Forests& Wildlife, GNCTD.
9. The DCF (HQ), Department of Forest & Wildlife, GNCTD.
10. Guard file.

Deputy Conservator of Forests (P&M)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09102026-277008
SG-DL-E-09102026-277008

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 1, 2026/आश्विन 9, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 239
No. 296]	DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2026/ASVINA 9, 1948	[N. C. T. D. No. 239

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 सितंबर, 2026

फा.नं. FAWL-L/1/2026-Tree Cell/e-323873/9777.— जबकि दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वृक्ष आवरण के संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा के प्राथमिक उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था;

और जबकि, उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन के अनुभव से इंगित है कि निजी भूस्वामियों द्वारा अपनी भूमि पर किए गए वृक्षारोपण और कृषि-वानिकी गतिविधियों, विशेष रूप से तीव्र गति से बढ़ने वाली तथा वाणिज्यक रूप से खेती की जाने वाली वृक्ष प्रजातियों से संबंधित गतिविधियों को वृक्षों की कटाई और उनके पारगमन के लिए अनुमति से संबंधित प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के कारण पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिला है;

और जबकि, एक सरलीकृत, पूर्वानुमानित और पारदर्शी विनियामक संरचना के अभाव ने व्यक्तियों तथा भूस्वामियों को निजी भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिए हतोत्साहित किया है, क्योंकि कृषि-वानिकी या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए मानव प्रयासों से उगाए गए वृक्षों के परिपक्व होने पर उन्हें काटना या उनका उपयोग करना मुश्किल हो जाता हैं;

और जबकि, निजी भूमि पर कृषि-वानिकी और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना हरित आवरण बढ़ाने, कार्बन पृथक्करण को बढ़ाने, लकड़ी तथा बायोमास की आपूर्ति को पूरक करने, प्राकृतिक वनों पर दबाव कम करने, आजीविका का समर्थन करने और जलवायु परिवर्तन शमन तथा पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करने के लिए आवश्यक है;

और जबकि, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पर्यावरण संरक्षण के साथ व्यवसाय करने में आसानी तथा वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के साथ संतुलित करने की आवश्यकता को पहचानते हुए निजी भूमि पर वृक्षारोपण और कृषि-वानिकी प्रजातियों के लिए सरलीकृत विनियामक तंत्र अपनाए हैं,

और जबकि, "पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार" ने कृषि वानिकी को बढ़ावा देने, विनियामक बाधाओं को कम करने और डिजिटल पंजीकरण, पता लगाने की क्षमता तथा सत्यापन तंत्र के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि और निजी भूमि में वृक्षों की कटाई के लिए आदर्श नियम तथा दिशानिर्देश परिचालित किए हैं;

और जबकि, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत विनियामक संरचना को उपर्युक्त नीतिगत उद्देश्यों, राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों और सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाना आवश्यक समझा जाता है, जबकि दुरुपयोग को रोकने तथा कानून या न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत संरक्षित वनों, रिज़ क्षेत्रों और वृक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित सुरक्षा उपायों को बनाए रखना आवश्यक है;

अब इसलिए, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 और 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,तथा उक्त अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के अंतर्गत यथा अपेक्षित पूर्ववर्ती प्रकाशन के पश्चात्, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

"दिल्ली वृक्ष परिरक्षण (कृषि-वानिकी एवं छूट प्राप्त वृक्षारोपण प्रजातियाँ) नियमावली, 2026"

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:-

(1) इन नियमों को दिल्ली वृक्ष परिरक्षण (कृषि-वानिकी एवं छूट प्राप्त वृक्षारोपण प्रजातियाँ) नियमावली, 2026 कहा जाए।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. अनुप्रयोग:-

ये नियम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि पर लागू होंगे, सिवाय उस भूमि के जो निम्नलिखित का हिस्सा है—

(क) वन, रिज़ क्षेत्र या मानित वन; या

(ख) कोई भी भूमि जिसके संबंध में तत्समय किसी कानून के अंतर्गत या किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा वृक्षों की कटाई निषिद्ध या प्रतिबंधित है।

स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि वन स्थिति विवाद, रिज़ क्षेत्र, पर्यावरणीय उल्लंघन, क्षतिपूर्ति वनरोपण दायित्व या विद्यमान न्यायिक निर्देशों से संबंधित मामलों में छूट/मानित अनुमति तंत्र लागू नहीं होगा।

3. परिभाषाएँ:-

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" का अभिप्राय दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 से है;

(ख) "वृक्ष" का वही अभिप्राय होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (ज) के अंतर्गत इसे निर्दिष्ट किया गया है;

(ग) "निजी भूमि" का अभिप्राय किसी व्यक्ति, परिवार, ट्रस्ट, सोसायटी या निजी संस्था के स्वामित्व वाली, उसके पास मौजूद या उसके वैध कब्जे वाली कृषि भूमि से है तथा जो केंद्र सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण में निहित नहीं है;

(घ) "वृक्षारोपण / कृषि-वानिकी" का अभिप्राय लकड़ी, ईंधन, चारा, वाणिज्यिक, कृषि या मृदा उर्वरता बढ़ाने के उद्देश्यों हेतु निजी भूमि पर व्यक्ति/संस्था द्वारा उगाए गए वृक्षों से है, जिसमें फार्म वानिकी और ब्लॉक वृक्षारोपण शामिल हैं;

(ङ) "छूट प्राप्त वृक्षारोपण प्रजातियों" का अभिप्राय अनुसूची-I में निर्दिष्ट ऐसी वृक्ष प्रजातियों से है जिनकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती हैं या जो तीव्र गति से बढ़ने वाली वृक्षारोपण प्रजातियाँ हैं और प्राकृतिक वनों या रिज़ पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं हैं;

(च) "वन वृक्ष" का अभिप्राय किसी भी प्रकार के प्राकृतिक रूप से उगने वाले वृक्ष से है जो वन या रिज़ पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा होता है, चाहे उसका स्वामित्व किसी के भी पास हो;

(छ) "कटाई" में वृक्ष को काटना, जड़ से उखाड़ना, शाखाएँ काटना, छँटाई करना या हटाना शामिल है;

(ज) "वृक्ष अधिकारी" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत नियुक्त वृक्ष अधिकारी से है;

(झ) "पोर्टल" का अभिप्राय वन एवं वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के ई-वन पोर्टल से है जो https://dpta.eforest.delhi.gov.in पर या कोई उत्तरवर्ती या एकीकृत प्रणाली पर उपलब्ध है।

4. पूर्व अनुमति की आवश्यकता से छूट:-

अधिनियम की धारा 5 और 6 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, इन नियमों के अधीन, निजी भूमि पर स्थित छूट प्राप्त वृक्षारोपण प्रजातियों के वृक्षों की कटाई, हटाने या निपटान के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

5. छूट प्राप्त वृक्षारोपण प्रजातियाँ:-

इन नियमों के प्रयोजनार्थ छूट प्राप्त वृक्षारोपण प्रजातियाँ वे होंगी जो अनुसूची-I में निर्दिष्ट हैं।

अनुसूची-I (नियम 3(ङ) और नियम 5 देखें)

1. पॉपलर (पॉपुलस डेल्टोइड्स)
2. सफेदा (यूकेलिप्टस प्रजाति)
3. सेझना (मोरिंगा ओलिफेरा)
4. गमारी (ग्मेलिना आर्बोरिया)
5. मालाबार नीम (मेलिया ड्यूबिया)

6. शर्तें एवं सीमाएं:-

इन नियमों के अंतर्गत छूट वहां लागू नहीं होगी जहां—

(क) भूमि वन, रिज़ श्रृंखला या मानित वन भूमि है; या

(ख) किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी कानून, अधिसूचना या आदेश द्वारा वृक्षों की कटाई निषिद्ध या प्रतिबंधित है।

7. वृक्षारोपण का पंजीकरण:-

(1) निजी भूमि का स्वामी, छूट प्राप्त वृक्षारोपण प्रजातियों के वृक्षारोपण को पोर्टल पर पंजीकृत करेगा।

(2) पंजीकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे—

(क) स्वामित्व संबंधी दस्तावेज;

(ख) भूमि की भू-टैग्ड की गई तस्वीरें और केएमएल फाइल; तथा

(ग) वृक्षों की प्रजाति और संख्या।

(3) पंजीकरण होने पर पोर्टल स्वचालित रूप से वृक्षारोपण पंजीकरण प्रमाणपत्र सृजित करेगा।

8. वृक्षों की कटाई हेतु सूचना तथा पूर्व निर्धारित अनुमति:-

(1) दस वृक्षों तक की कटाई के लिए, स्वामी को वृक्षारोपण पंजीकरण प्रमाण पत्र और काटे जाने वाले प्रस्तावित वृक्षों की भू-टैग्ड की गई तस्वीरें अपलोड करनी होंगी तथा ऐसी प्रस्तुति पर,जहाँ कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाती है, वहां वृक्ष अधिकारी सात कार्य दिवसों के भीतर आवश्यक अनुमति जारी करेगा। बशर्ते कि कोई भी आपत्ति केवल इन नियमों या किसी कानून या न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश के उल्लंघन पर आधारित होगी।

(2) दस से अधिक वृक्षों की कटाई के लिए, स्वामी पोर्टल पर सूचना प्रस्तुत करेगा और—

(क) वृक्ष अधिकारी प्रस्तुत करने की तिथि से चौदह कार्य दिवसों के भीतर स्थल का निरीक्षण करेगा; तथा

(ख) जहाँ उक्त अवधि के भीतर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाती है, वहां वृक्ष अधिकारी तीन सप्ताह के भीतर आवश्यक अनुमति जारी करेगा। बशर्ते कि कोई भी आपत्ति केवल इन नियमों या किसी कानून या न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश के उल्लंघन पर आधारित होगी।

9. पारगमन, परिवहन एवं उपयोग :-

(1) छूट प्राप्त वृक्षारोपण प्रजातियों से प्राप्त लकड़ी या उत्पाद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर या बाहर किसी अलग पारगमन परमिट के बिना ले जाया जा सकता है।

(2) वृक्ष अधिकारी द्वारा कटाई हेतु जारी की गई अनुमति लकड़ी के लिए वैध परिवहन दस्तावेज के रूप में कार्य करेगी।

(3) दुरुपयोग को रोकने के लिए यादृच्छिक सत्यापन किया जा सकता है।

10. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से छूट:-

इन नियमों के अनुसार काटे गए वृक्षों पर अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण लागू नहीं होगा।

11. बचाव:-

इन नियमों में से कोई भी बात वृक्षों या वृक्षारोपण पर लागू नहीं होगी—

(क) जिन्हें तत्समय लागू किसी भी कानून के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित अधिसूचित किया गया हो; या

(ख) जिनके संबंध में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी आदेश या निर्देश द्वारा वृक्षों की कटाई निषिद्ध या प्रतिबंधित है।

12. संशोधन करने की शक्ति:-

सरकार, जनहित में अधिसूचना द्वारा इन नियमों के अंतर्गत अनुसूची-I या प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं में संशोधन कर सकती है।

13. सामान्य बचाव:-

इन नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वनों, पर्यावरण या वन्यजीवों से संबंधित किसी भी कानून के संचालन या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी बाध्यकारी निर्देश को प्रभावित करेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर

विजय कुमार बिधुरी, सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 30th September, 2026

F.No. FAWL-L/1/2026-Tree Cell/e-323873/9777.— Whereas the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994) was enacted with the primary objective of conserving tree cover and protecting the environment in the National Capital Territory of Delhi;

And whereas, experience in the implementation of the said Act has shown that plantation and agro-forestry activities undertaken by private landowners on their own land, particularly involving fast-growing and commercially cultivated tree species, have not received adequate encouragement due to procedural requirements relating to permission for felling and transit of trees;

And whereas, the absence of a simplified, predictable and transparent regulatory framework has acted as a disincentive for individuals and landowners to undertake plantation on private land, as trees raised through human agency for agro-forestry or commercial purposes become difficult to harvest or utilise upon maturity;

And whereas, promotion of agro-forestry and plantation on private land is essential for increasing green cover, enhancing carbon sequestration, supplementing timber and biomass supply, reducing pressure on natural forests, supporting livelihoods, and contributing to climate-change mitigation and environmental sustainability;

And whereas, several States and Union Territories have adopted simplified regulatory mechanisms for plantation and agro-forestry species on private land, recognising the need to balance environmental protection with ease of doing business and encouragement of tree plantation outside forest areas;

And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, has circulated Model Rules and Guidelines for felling of trees in agricultural and private lands with the objective of promoting agro-forestry, reducing regulatory barriers, and ensuring safeguards through digital registration, traceability and verification mechanisms;

And whereas, it is considered necessary to align the regulatory framework under the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 with the aforesaid policy objectives, national guidelines and best practices, while retaining appropriate safeguards to prevent misuse and to ensure protection of forests, ridge areas, and trees protected under law or court directions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 29 and 34 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), and after previous publication as required under sub-section (1) of section 34 of the said Act, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following rules, namely:—

"DELHI PRESERVATION OF TREES (AGRO-FORESTRY AND EXEMPTED PLANTATION SPECIES) RULES, 2026".

1. Short title and commencement.

(1) These rules may be called the Delhi Preservation of Trees (Agro-forestry and Exempted Plantation Species) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.

These rules shall apply to private land within the National Capital Territory of Delhi, other than land forming part of—

(a) forests, ridge areas or deemed forests; or

(b) any land in respect of which felling of trees is prohibited or restricted under any law for the time being in force or by order of any court or tribunal.

Explanation:- It is clarified that exemption/ deemed permission mechanism shall not be applicable in cases involving forest status disputes, ridge areas, environmental violations, compensatory afforestation obligation or subsisting judicial directions.

3. Definitions.

In these rules, unless the context otherwise requires,—
(a) "Act" means the Delhi Preservation of Trees Act, 1994;

(b) "tree" shall have the same meaning as assigned to it under clause (h) of section 2 of the Act;

(c) "private land" means agricultural land owned, held or lawfully possessed by an individual, family, trust, society or private entity and not vested in the Central Government, the Government of National Capital Territory of Delhi or any local authority;

(d) "plantation / agro-forestry" means trees raised by individual/entity on private land for timber, fuel, fodder, commercial, agricultural or soil-improvement purposes, including farm forestry and block plantations;

(e) "exempted plantation species" means such tree species specified in Schedule-I which are commercially cultivated or fast-growing plantation species and do not form part of natural forests or ridge ecosystems;

(f) "forest tree" means a naturally occurring tree forming part of forest or ridge ecosystems, irrespective of ownership;

(g) "felling" includes cutting, uprooting, lopping, pollarding or removal of a tree;

(h) "Tree Officer" means the Tree Officer appointed under section 3 of the Act;

(i) "portal" means the e-Forest portal of the Department of Forests and Wildlife, Government of the National Capital Territory of Delhi, accessible at https://dpta.eforest.delhi.gov.in, or any successor or integrated system.

4. Exemption from requirement of prior permission.

Notwithstanding anything contained in sections 5 and 6 of the Act, no prior permission shall be required for the felling, removal or disposal of trees of exempted plantation species situated on private land, subject to these rules.

5. Exempted plantation species.
The exempted plantation species for the purposes of these rules shall be those specified in Schedule-I.

SCHEDULE-I (See rule 3(e) and rule 5)

1. Poplar (Populus deltoides)
2. Safeda (Eucalyptus spp.)
3. Sejhana (Moringa Oleifera)
4. Gamari (Gmelina arborea)
5. Malabar Neem (Melia dubia)

6. Conditions and limitations.
The exemption under these rules shall not apply where—
(a) the land is forest, ridge or deemed forest land; or

(b) felling of trees is prohibited or restricted by any law, notification or order of any court or tribunal.

7. Registration of plantation.

(1) The owner of private land shall register the plantation of exempted plantation species on the portal.
(2) Registration shall include—

(a) ownership related document;
(b) geo-tagged photographs and KML file of the land; and
(c) species and number of trees.

(3) Upon registration, the portal shall generate an automatic Plantation Registration Certificate.

8. Intimation and default permission for felling.

(1) For felling of up to ten trees, the owner shall upload the Plantation Registration Certificate and geo-tagged photographs of the trees proposed to be felled and, upon such submission, where no objection is recorded, the Tree officer shall issue necessary permission within Seven working Days. Provided that any objection shall be based only on violation of these rules or any law or order of a court or tribunal.

(2) For felling of more than ten trees, the owner shall submit an intimation on the portal and—

(a) the Tree Officer shall conduct a site inspection within fourteen working days from the date of submission; and

(b) where no objection is recorded within the said period, The Tree officer shall issue necessary permission within three weeks. Provided that any objection shall be based only on violation of these rules or any law or order of a court or tribunal.

9. Transit, transport and use.

(1) Timber or produce obtained from exempted plantation species may be transported within or outside the National Capital Territory of Delhi without any separate transit permit.

(2) The felling permission issued by the Tree officer shall act as a valid transport document for the timber.
(3) Random verification may be undertaken to prevent misuse.

10. Exemption from compensatory plantation.

Trees felled in accordance with these rules shall not attract compensatory plantation under section 8 of the Act.

11. Savings.
Nothing in these rules shall apply to trees or plantations—
(a) specifically notified as protected under any law for the time being in force; or

(b) in respect of which felling of trees is prohibited or restricted by any order or direction of a court or tribunal.

12. Power to amend.

The Government may, in public interest, amend Schedule-I or procedural requirements under these rules by notification.

13. General savings.

Nothing in these rules shall affect the operation of any law relating to forests, environment or wildlife, or any binding direction of a court or tribunal.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

VIJAY KUMAR BIDHURI, Secy. (Environment & Forests)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA